समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक........../2016 R-3850-I-16

आवेदक- भोले सिंह वल्द जुगराज सिंह
निवासी-ग्राम चपना तह0 बड़वारा जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण/निगरानी आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान **कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-21/2014-15, में** पारित आदेश **दिनांक 05.09.2016** से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम चपना तहसील बड़वारा जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक के द्वारा ग्राम **सुड्डी** प0ह0नं0 19, **तह0 बड़वारा, जिला कटनी** स्थित भूमि खसरा नंबर **1350, 1487** रकवा क्रमशः **0.21, 0.20** हे0 कुल रकवा **0.41** हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो कि आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है तथा उसके पैत्रक ग्राम चपना एवं आवेदित ग्राम सुड्डी स्थित भूमि के बीच में अत्यधिक दूरी होने के कारण आवेदक उक्त भूमि को बेचकर अपनी पैत्रक भूमि ग्राम चपना राजस्व निरीक्षक मण्डल विजयराघवगढ़ जिला कटनी की 5.23 हे0 भूमि को कृषि कार्य हेतु और अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है जिस हेतु वह **ग्राम सुड्डी** स्थित भूमि **खसरा नंबर 1350, 1487** रकवा क्रमशः **0.21, 0.20** हे0 कुल रकवा **0.41** हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने बावत् विधिवत आवेदनपत्र माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को माननीय न्यायालय ने राजस्व प्रकरण **क्रमांक 16/अ-21/2015-16,** के रूप में दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा से जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा द्वारा तहसीलदार बड़वारा, को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा गया।
4. यह कि, आवेदक के पास आवेदित भूमि **ग्राम सुड्डी** तहसील **बड़वारा** की भूमि के अतिरिक्त **ग्राम चपना, रा0नि0मं0 सिनगौड़ी, तहसील-विजयराघवगढ, जिला-कटनी** में खसरा नंबर **5, 36, 213, 366, 400, 478** रकवा क्रमशः **1.96, 0.87, 0.16, 0.10, 0.22, 1.92** कुल रकवा **5.23 हे0 लगानी 81.33 पैसा** स्थित है। जो उसके परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है। **किश्तबन्दी की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-1 है।**
5. यह कि, तहसीलदार बड़वारा ने उक्त भूमि के संबंधित ग्राम में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया समय सीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा संबंधीत हल्का पटवारी से आवेदित भूमि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन लिया गया। 2

......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3850 / एक / 2016 **जिला–कटनी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-12-2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 10 / अ–21 / 2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला कटनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम सुड्डी प.ह.न. 19 तहसील बंडवारा जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1350,1487 रकवा क्रमशः 0.21, 0.20 कुल रकवा 0.41 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है। जो आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है। तथा उसके पैत्रिक ग्राम चपना में आवेदित ग्राम सुड्डी स्थित भूमि को बेचकर अपील पैत्रिक भूमि ग्राम चपना राजस्व निरीक्षक मण्डल विजयराघवगढ़ जिला कटनी की 5.23 है0 भूमि को कृषि कार्य हेतु और अधिक उपजाउ बनाना चाहता है। जिस हेतु वह ग्राम सुड्डी स्थित भूमि खसरा नं. 1350, 1487 रकवा क्रमशः 0.21, 0.20 है0 कुल रकवा 0.41 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने बावत् विधिवत् आवेदन पत्र कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्व कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडवारा से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में विक्रय अनुमति नहीं दी गयी। ऐसी	

स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास ग्राम चपना में रा.नि.म. सिनगौडी तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी में खसरा नं. 5, 36, 213, 366, 400, 478 रकवा क्रमशः 1.96, 0.87, 0.16, 0.10, 0.22, 1.92 कुल रकवा 5.23 है0 होने की पुष्टि करते हुये विक्रय की अनुशंसा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी बड़वारा द्वारा दिया गया था। तथा आवेदक द्वारा यह बताया था कि वह उक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि से ग्राम चपना में स्थित भूमि खसरा नं. 135 रकवा 0.51 है0 भूमि को क्रय करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपरोक्त भूमि से उसे लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया और आदेश पत्रिका दिनांक 05.10.2016 से प्रकरण अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। इससे आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् जॉच हो जाने के पश्चात् भी भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी गयी। और आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त की जाये। अंत में आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी को स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश

निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जिला कटनी ने आदेश पत्रिका दिनांक 05.10.2016 पारित किया है। वह विधिवत् है अथवा नहीं प्रकरण में जब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ जॉच हेतु गया था एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 05.10.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि उक्त दिनांक को प्रकरण में गुण दोषों पर आदेश पारित नही किया है बल्कि प्रकरण को अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नही है।

6– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी ग्राम सुड्डी प.ह.न. 19 तहसील बडवारा जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1350, 1487 रकवा क्रमशः 0.21, 0.20 कुल रकवा 0.41 है0 राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है अतः वह ग्राम सुड्डी स्थित भूमि को बेचकर उसके पैत्रिक भूमि ग्राम चपना राजस्व निरीक्षक मण्डल विजयराघवगढ़ जिला कटनी की 5.23 है0 भूमि को कृषि कार्य हेतु और अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है जिस हेतु वह ग्राम सुड्डी स्थित भूमि खसरा नं. 1350, 1487 रकवा क्रमशः 0.21, 0.20 है0 कुल रकवा 0.41 है0 भूमि को विक्रय करना चाहता है। इसके अलावा आवेदक के पास ग्राम चपना में रा.नि.म. सिनगौडी तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी में खसरा नं. 5, 36, 213, 366, 400, 478 रकवा क्रमशः 1.96, 0.87, 0.16, 0.10, 0.22, 1.92 कुल रकवा 5.23 है0 भूमि है। जो उसके परिवार के जीवनयापन

एवं भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति पर सद्भाविक विचार किया जाना चाहिये था। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :–

1– पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 5.23 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2– प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व–अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3– हल्का पटवारी ने प्रतिवेदन में यह भी बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4– आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से स्व अर्जित भूमि है ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7– प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व–अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का है, जिसके

कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (6), प्रतिबंधित करती है कि कोई भी आदिवासी जाति का भूमिस्वामी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से किया गया है। परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर कटनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी राजस्व प्रकरण क्रमांक 10 / अ—21 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम सुड्डी प.ह.नं. 19 तहसील बडवारा जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1350, 1487 रकवा क्रमशः 0.21, 0.20, कुल रकवा 0.41 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य